

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे II/निप लिंक न. 11742 / 1207

दिनांक :- 7.10.2022

कार्यालय आदेश

श्री / ~~श्रीमती~~ / सुश्री बांका राम [लिंक न. 11742] तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, बाड़मेर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 11/11/2021 से 22/03/2022 तक 132 दिवस

कुल 132 दिवस

उक्त कुल 132 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री / श्रीमती / सुश्री बांका राम की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।



निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे II/निप लिंक न. 11742 / 1207

दिनांक :- 7.10.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधिशाषी अभियंता, आरआईजीईपी खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बाड़मेर।
2. कोषाधिकारी बाड़मेर (आपके पत्रांक 6729 दिनांक 09.09.2022 के क्रम में)।
3. श्री / ~~श्रीमती~~ / सुश्री बांका राम [11742] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय अधिशाषी अभियंता, आरआईजीईपी खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बाड़मेर।
4. निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।



(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)